पंजाब केसरी
DELHI
23 सितम्बर, 2026 ▸ बुधवार

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

भूकंप से इमारतों की सुरक्षा के लिए

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 27.07.2020 को सभी ऐसे उच्च-भवनों जिनकी ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक है तथा जिनके भवन 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे, के स्वामी/अधिभोगियों को संबंधित क्षेत्रों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच कराने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। दिल्ली की जनता को एतदद्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली इमारतों के लिए पुनः सूचित किया जाता है:

1. 21.03.2001 से पहले स्वीकृत सभी ऊँची इमारतों (15 मीटर या उससे अधिक) के सभी स्वामियों/अधिभोगियों के लिए इन इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवाना अनिवार्य है। यह संरचना जाँच तीन माह की अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत ऐसी इमारतें, जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से कम है तथा जहाँ बड़ी संख्या में जनता एकत्रित होती है, जैसे शैक्षणिक भवन, अस्पताल, संस्थागत भवन, सभा भवन, सिनेमा हॉल, मॉल एवं समूह आवास, के स्वामियों/अधिभोगियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच तीन माह की अवधि के भीतर करवाना सुनिश्चित करें।
3. भवन की रेट्रोफिटिंग को किसी भी अनधिकृत निर्माण एवं भवन के अनधिकृत उपयोग की स्वीकृति अथवा नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा।
4. दिल्ली नगर निगम के पैनलबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सरकारी एजेंसियां/सरकारी संस्थाओं के द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवा सकते हैं।
5. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच का शुल्क और लागत स्वामियों/अधिभोगियों को वहन करना होगा।
6. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच के पश्चात, स्वामियों/अधिभोगियों को रेट्रोफिटिंग/सुधारात्मक उपाय (इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा सुझाई गई हस्तक्षेप अवधि भी शामिल होगी) करने होंगे।
7. निर्धारित समय में अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वामी/संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

निदेशक (भवन) डीडीए

हमें फॉलो करें @ddaofficial @official_dda @official_dda_
कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएँ या टोल-फ्री नंबर 1800 110 332 पर कॉल करें।

दिल्ली जागरण
नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2026 दैनिक जागरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

भूकंप से इमारतों की सुरक्षा के लिए

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 27.07.2020 को सभी ऐसे उच्च-भवनों जिनकी ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक है तथा जिनके भवन 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे, के स्वामी/अधिभोगियों को संबंधित क्षेत्रों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच कराने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। दिल्ली की जनता को एतदद्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली इमारतों के लिए पुनः सूचित किया जाता है:

1. 21.03.2001 से पहले स्वीकृत सभी ऊँची इमारतों (15 मीटर या उससे अधिक) के सभी स्वामियों/अधिभोगियों के लिए इन इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवाना अनिवार्य है। यह संरचना जाँच तीन माह की अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत ऐसी इमारतें, जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से कम है तथा जहाँ बड़ी संख्या में जनता एकत्रित होती है, जैसे शैक्षणिक भवन, अस्पताल, संस्थागत भवन, सभा भवन, सिनेमा हॉल, मॉल एवं समूह आवास, के स्वामियों/अधिभोगियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच तीन माह की अवधि के भीतर करवाना सुनिश्चित करें।
3. भवन की रेट्रोफिटिंग को किसी भी अनधिकृत निर्माण एवं भवन के अनधिकृत उपयोग की स्वीकृति अथवा नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा।
4. दिल्ली नगर निगम के पैनलबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सरकारी एजेंसियां/सरकारी संस्थाओं के द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवा सकते हैं।
5. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच का शुल्क और लागत स्वामियों/अधिभोगियों को वहन करना होगा।
6. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच के पश्चात, स्वामियों/अधिभोगियों को रेट्रोफिटिंग/सुधारात्मक उपाय (इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा सुझाई गई हस्तक्षेप अवधि भी शामिल होगी) करने होंगे।
7. निर्धारित समय में अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वामी/संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

निदेशक (भवन) डीडीए

हमें फॉलो करें @ddaofficial @official_dda @official_dda_
कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएँ या टोल-फ्री नंबर 1800 110 332 पर कॉल करें।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, बुधवार, 23 सितंबर 2026

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

भूकंप से इमारतों की सुरक्षा के लिए

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के आधार पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिनांक 27.07.2020 को सभी ऐसे उच्च-भवनों जिनकी ऊँचाई 15 मीटर या उससे अधिक है तथा जिनके भवन 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे, के स्वामी/अधिभोगियों को संबंधित क्षेत्रों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच कराने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। दिल्ली की जनता को एतद्द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली इमारतों के लिए पुनः सूचित किया जाता है:

1. 21.03.2001 से पहले स्वीकृत सभी ऊँची इमारतों (15 मीटर या उससे अधिक) के सभी स्वामियों/अधिभोगियों के लिए इन इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवाना अनिवार्य है। यह संरचना जाँच तीन माह की अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. 21.03.2001 से पूर्व स्वीकृत ऐसी इमारतें जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से कम है तथा जहाँ बड़ी संख्या में जनता एकत्रित होती है, जैसे शैक्षणिक भवन, अस्पताल, संस्थागत भवन, सभा भवन, सिनेमा हॉल, मॉल एवं समूह आवास, के स्वामियों/अधिभोगियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा जाँच तीन माह की अवधि के भीतर करवाना सुनिश्चित करें।
3. भवन की रेट्रोफिटिंग को किसी भी अनधिकृत निर्माण एवं भवन के अनधिकृत उपयोग की स्वीकृति अथवा नियमितीकरण के रूप में नहीं माना जाएगा।
4. दिल्ली नगर निगम के पैनलबद्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियर/सरकारी एजेंसियां/सरकारी संस्थाओं के द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा जाँच करवा सकते हैं।
5. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच का शुल्क और लागत स्वामियों/अधिभोगियों को वहन करना होगा।
6. संरचनात्मक सुरक्षा जाँच के पश्चात, स्वामियों/अधिभोगियों को रेट्रोफिटिंग/सुधारात्मक उपाय (इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा सुझाई गई हस्तक्षेप अवधि भी शामिल होगी) करने होंगे।
7. निर्धारित समय में अनुपालन नहीं करने की स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 24.04.2019 और 10.02.2020 की अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वामी/संपत्ति के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

निदेशक (भवन) डीडीए

हमें फॉलो करें @ddaofficial @official_dda @official_dda_
कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएँ या टोल-फ्री नंबर 1800 110 332 पर कॉल करें।

NEW DELHI
WEDNESDAY
SEPTEMBER 23, 2026
Hindustan Times

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

FOR SAFETY OF BUILDINGS AGAINST EARTHQUAKES

In compliance to the direction of Hon'ble High Court of Delhi and based on the provisions of notifications dated 24.04.2019 and 10.02.2020 of GNCTD, DDA has earlier issued Public Notice on 27.07.2020 to the owners/ occupiers of all High Rise Buildings (15m or above) which were sanctioned before 21.03.2001 to undertake structural safety audit for the areas falling in the development area of DDA. General Public of Delhi is hereby again informed that for buildings falling under jurisdiction of DDA:

1. The structural safety audit is mandatory to be carried out by all the owner(s)/occupier(s) of all high rise buildings (15m or above) which were sanctioned before 21.03.2001. The structural audit is to be carried out within three months.
2. The owner(s)/occupier(s) of the buildings which were sanctioned before 21.03.2001 and having height less than 15 meters with high public congregation such as Educational Building, Hospital, Institutional Buildings, Assembly Buildings, Cinema Halls, Malls and Group Housing are also directed to conduct structural safety audit within three months.
3. The retrofitting of the building will not be construed to be deemed sanction, regularization of any unauthorized construction and unauthorized use of the building.
4. Structural Engineers empanelled with MCDs/ Govt. Agencies/ Govt. Institutes can conduct structural safety audit.
5. The fees and cost of the structural audit shall be borne by the owner(s)/occupier(s).
6. After the structural audit, the retrofitting/ corrective measures (which shall also include the intervention time as suggested by the Structural Engineer) shall have to be carried out by the owner(s) / occupier(s).
7. In case of non-compliance within stipulated time, action against owner/property shall be initiated as per provisions contained in notification dated 24.04.2019 and 10.02.2020 of GNCTD.

Director (Building) DDA

Follow us on @ddaofficial @official_dda @official_dda_
Please visit DDA website www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800 110 332